प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 07.02.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 07.02.2026 को थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/26 धारा 70(2) बीएनएस व 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. अमन कुमार उर्फ गोलू पुत्र श्री तपे 02. हिमेश कुमार उर्फ लराहे पुत्र गोमंती प्रसाद निवासीगण बन्धुपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को बन्धुपुर शिवमन्दिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 06.02.2026 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्तो के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तो को आज दिनांक 07.02.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष श्री रजनीश राय, हे0का0 सम्स तबरेज, का0 अभिषेक सिंह, का0 राजमंगल यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0स0 68/2025 धारा 69, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुधीर तिवारी पुत्र चतुर्भुजी तिवारी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 06.02.2026 को सरैया बाइपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 धनजी वर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7668 द्वारा मोटरसाइकिल तथा साइकिल के आपस में टक्कर होने के कारण मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल-पीआरवी 7668 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सरैया बइपास से कालर द्वारा मोटरसाईकिल तथा साईकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (01.संगीता पत्नी नंद कुमार निवासी चौरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 नितीश कुमार सिंह, हो0गा0 चालक अवधेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 116 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 116 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 07.02.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2026 धारा 65(1),137(2),87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिनेश उर्फ विस्सु पुत्र शैलेष निवासी रामनगर कटघर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को बिड़हरघाट मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 11.01.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तो को आज दिनांक 07.02.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 मुकेश कुमार।